II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	प्रकरण लोक अदालत की खण्डपीठ कमांक 29 में प्रस्तुत।	
08-07-2017	परिवादी ~~सहित / द्वारा श्री~~ स्वयं उप० ~~अधिवक्ता~~। अभियुक्त ~~अनुपस्थित / सहित / द्वारा श्री~~ स्वयं उप० अधिवक्ता।	
	परिवादी द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 147 परकाम्य लिखत अधिनियम् प्रस्तुत किया गया।	
	शमन आवेदन पर परिवादी को सुना गया। परिवादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया। परिवादी ने व्यक्त किया कि अभियुक्त द्वारा चेक की संपूर्ण / पूर्ण राशि संदाय कर दिया गया है तथा उनके मध्य कोई विवाद शेष नहीं है तथा वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। परिवादी की पहचान उसके अधिवक्ता द्वारा की गई है।	
	अभियुक्त के विरूद्ध परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि होना अभिलेख में दर्शित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का भी कोई अन्य कारण प्रकरण में परिलक्षित नहीं है।	
	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत दामोदर एस प्रभु विरूद्ध सईद बाबालाल एच, ए0आई0आर0 2010 एस0सी0 1907 में प्रतिपादित सिंद्धांत के अनुसार अभियुक्त के प्रथम उपस्थिति उपरांत राजीनामा के आधार पर प्रकरण के निराकरण के प्रकम पर चैक की राशि का 10 प्रतिशत परिव्यय अधिरोपित किया जाना है किन्तु अभियुक्त की आर्थिक स्थिति [illegible] है जिसके कारण [illegible] दर्शित परिस्थिति — को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में अभियुक्त पर चैक की राशि का एक प्रतिशत 3000/- रूपये के परिव्यय अधिरोपित किया जाता है।	
	अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि परिव्यय राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के खाता में जमा कर रसीद प्रस्तुत करें।	
	प्रकरण परिव्यय रसीद प्रस्तुति / आवेदन पर आदेश हेतु कुछ समय पश्चात पुनः प्रस्तुत हो।	
	(हस्ताक्षर) **(अजय कुमार यदु)** पीठासीन अधिकारी लोक अदालत खण्डपीठ क 29	(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)

ग्वालियर, जिला ग्वालियर म0प्र0

Signed By :RAKESH KUMAR JAIN
Signed On :2020.12.01

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

पुनश्च–

पक्षकार पूर्ववत्।

प्रकरण परिव्यय रसीद प्रस्तुति/आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

अभियुक्त द्वारा परिव्यय की राशि 3000/- रुपए मात्र (तीन हजार रूपये) रसीद बुक क0 231 7 सरल कमांक 68 में संदाय किया गया।

फलतः श नि आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित परकाम्य लिखत अधिनियम् की धारा 138 के अपराध का शमन किया जाता है।

अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया गया है। अतः परिवादी द्वारा संदाय किये गये न्यायालय शुल्क उसे वापस लौटाने के सम्बंध में प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

श्री हरियोगेन्द्र सिंह — सदस्य

श्री ~~एम0एस0 यादव~~ — सदस्य

(अजय कुमार यदु)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत खण्डपीठ कं 29
ग्वालियर, जिला ग्वालियर म0प्र0

Signed By :RAKESH KUMAR JAIN
Signed On :2020.12.01